

संचालनालय पशुपालन

कामधेनू भवन वैशालीनगर भोपाल

कमांक 9093

/स्था-ब/स.प.चि.क्षे.अ.भर्ती/2016/

/भोपाल, दिनांक 1 जुलाई 2016

आदेश

मध्यप्रदेश व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा चयनित सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों के पद पर निम्न लिखित उम्मीदवारों को वेतन बेण्ड रुपये 5200-20200+गेड पे 2400 में अस्थाई रूप से 2वर्ष की परिवरीक्षा अवधि पर नियुक्त करते हुए उनके नाम के समक्ष उल्लेखित स्थान पर निम्न सेवा शर्तों के अधीन पदस्थ किया जाता है :-

स.क्र.	नाम/ पिता का नाम	गृहजिला	श्रेणी	पदस्थ स्थान
1	रामनारायण कुर्मी पिता श्री बैजनाथ कुर्मी	अ.पि.वर्ग	सागर	पशु औषधालय रानीताल जिला अनूपपुर
2	राकेश कुमार कुशवाहा पिता श्री उमाशंकर कुशवाहा	अ.पि.वर्ग	रीवा	जिला पशु चिकित्सालय कटनी जिला कटनी
3	मनोज कुमार कुशवाहा पिता श्री रामसुफल कुशवाहा	अ.पि.वर्ग	सतना	पशु चिकित्सालय हीरापुर जिला सागर
4	मनोज कुमार सेन पिता श्री बद्रीप्रसाद सेन	अ.पि.वर्ग	भिण्ड	पशु औषधालय डागोनी जिला अशोकनगर
5	अरुण प्रताप सिंह यादव पिता श्री पी.सी. यादव	अ.पि.वर्ग	टीकमगढ.	पशु औषधालय शहगढ जिला सागर
6	दीपक पटेल पिता श्री संतोष पटेल	अ.पि.वर्ग	खरगोन	पशु चिकित्सालय अफजलपुर जिला मन्दसौर
7	मनोज सोलंकी पिता श्री वाल सिंह सोलंकी	अनु.ज.जा.	धार	पशु औषधालय कम्पेल जिला इन्दौर
8	संदीप कुमार डोले पिता श्री भांगी डोले	अनु.जाति	छिन्दवाड़ा	पशु औषधालय गणेशगंज जिला सिवनी
9	उदीप मौर्य पिता श्री मुकामसिंह मौर्य	अनु.ज.जा	अलीराजपुर	पशु औषधालय बोरदिया जिला नीमच
10	अशोक पिता श्री रामसिंह	अनु.ज.जा	झाबुआ	पशु चिकित्सालय सावना जिला नीमच
11	महेश चौहान पिता श्री प्रतापसिंह चौहान	अनु.ज.जा.	बडवानी	पशु चिकित्सालय बेगमगंज जिला रायसेन
12	महेश कुमार बामनिया पिता श्री मिठेसिंह बामनिया	अनु.ज.जा	देवास	पशु चिकित्सालय बेगमगंज जिला रायसेन
13	रमेश चौहान पिता श्री प्रतापसिंह चौहान	अनु.ज.जा	अलीराजपुर	पशु चिकित्सालय भावगढ जिला मन्दसौर
14	सत्यम क्षेत्रे पिता श्री सदाशिव क्षेत्रे	अनु.ज.जा	खरगोन	पशु औषधालय टुकईथड जिला मन्दसौर
15	भोलासिंह पिता श्री बुद्धसेन सिंह	अनु.ज.जा	शहडोल	पशु चिकित्सालय गौरी जिला रीवा

सेवा शर्तें

- 1 आदेश जारी होने की तिथि से एक माह के अन्दर अपना उपस्थिति प्रतिवेदन संबंधित संयुक्त/उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएँ को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। अन्यथा यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
2. नियुक्त किये गये उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्यअधिकारी का प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे कार्यभार ग्रहण नहीं करने दिया जावेगा।
3. मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन कमांक एफ-9/3/03/नियम/4 दिनांक 13/4/2005 एवं प्रमुख सचिव वित्त का अर्द्ध शासकीय पत्र कमांक एफ-9/3/03/नियम /4दिनांक 2.7.2005 के अनुसार राज्यशासन के अधीन 1.1.2005 अथवा उसके पश्चात् नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू की जाना है, का पालन किया जाय।

4. मध्य प्रदेश शासकीय सेवा (अस्थाई एवं अर्द्ध स्थायी सेवा नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवायें किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह का वेतन भत्तों के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भूराजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी ।
5. इस नियुक्ति आदेश के पश्चात् पुलिस चरित्र सत्यापन में संबंधित के विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त होने की स्थिति में एवं अभ्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये घोषणा पत्र अथवा दस्तावेज में किसी भी प्रकार की त्रुटि किसी भी समय एवं स्तर पर पाये जाने पर तत्काल सेवा समाप्ति के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी तथा वह किसी भी न्यायालय में जाने का हकदार नहीं होगा ।
6. परिवीक्षा अवधि में सतोष जनक कार्य सम्पादन करने पर दो वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरांत वेतन बैंड 5200-20200 + गेड पे 2400में नियमानुसार नियमित किया जावेगा

प्रमाणित किया जाता है कि नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के आरक्षण संबंधी आदेशों में नियमों का पालन किया गया है ।

(डॉ.आर.क.रोकड़)
संचालक,
पशुपालन मध्य प्रदेश
भोपाल

कमांक 9094 /स्था-ब/स.प.चि.क्षे.अ.भर्ती/2015/
प्रतिलिपि :-

/भोपाल, दिनांक 7/7/16

- 1 प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन पशुपालन विभाग मंत्रालय भोपाल ।
- 2 समस्त कलेक्टर म.प्र.
- 3 संबंधित संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवाएँ सागर/रीवा/ग्वालियर/उज्जैन/इन्दौर/जबलपुर भोपाल संभाग म.प्र.
- 4 उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाये,अनूपपुर/सतना/सागर/अशोकनगर/मन्दसौर/इन्दौर/सीवनी/नीमच/ बडवानी /रायसेन एवं रीवा मध्य प्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि उपरोक्तांकित सेवा शर्तों के अनुरूप कार्यवाही करते हुए अपने जिलों के जिला कोषालय अधिकारी एवं संचालक कोष एवं लेखा को निर्धारित प्रपत्र में जानकारी भेजते हुए संचालनालय को अवगत कराये। साथ ही संबंधित कर्मचारी के प्रमाण-पत्रों की पुष्टि कर इस कार्यालय को सूचित करें।
- 5 श्री /सु श्री

(डॉ.आर.क.रोकड़)
संचालक,
पशुपालन मध्य प्रदेश
भोपाल